



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102025-267041
CG-DL-E-18102025-267041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 18, 2025/आश्विन 26, 1947

No. 681]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 2025/ASVINA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2025

सं. 17/2025-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 765(अ).— केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटीआर -3-ख में रिटर्न प्रस्तुत करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है-

- धारा 39 की उपधारा (1), सितंबर, 2025 माह के लिए, अक्टूबर 2025 के पच्चीसवें दिन तक।
- धारा 39 की उपधारा (1) का परन्तुक, जुलाई, 2025 से सितंबर, 2025 की तिमाही के लिए, अक्टूबर 2025 के पच्चीसवें दिन तक।

[फा. सं. सीबीआईसी-20006/45/2025-जीएसटी]

रौशन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2025

No. 17/2025 – CENTRAL TAX

G.S.R. 765(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return in FORM GSTR-3B electronically, through the common portal, by the registered persons, as specified under:-

- (i) sub-section (1) of section 39, for the month of September, 2025, till twenty-fifth day of October, 2025:
- (ii) proviso to sub-section (1) of section 39, for the quarter of July, 2025 to September, 2025, till twenty-fifth day of October, 2025.

[F. No. CBIC-20006/45/2025-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.